

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:—मुसप्र/2020/322

दिनांक:—17/7/2020

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर के अधीन माँ लटियाल भवानी आवासीय कॉलोनी, फलौदी में अल्प आय वर्ग के 04, मध्यम आय वर्ग-अ के 06, मध्यम आय वर्ग-ब के 05 एवं उच्च आय वर्ग के 05 कुल 20 आवासीय भूखण्डों का निस्तारण खुली नीलामी के माध्यम से (बिना छूट के) किये जाने के सम्बंध में की गई अनुशंषा के आधार पर खुली नीलामी से निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

खुली नीलामी से निस्तारण किये जाने वाले आवासीय भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	आय वर्ग	आवासीय भूखण्ड संख्या	रिक्त प्रस्तावित प्लॉट
1	LIG	2-I-10 to 13	04
2	MIG-A	2-F-14, 2-F-15, 2-F-16, 2-F-17, 2-F-18, 2-F-19	06
3	MIG-B	1-G-12, 2-C-9, 2-C-10, 2-C-11, 2-C-12	05
4	HIG	2-B-9, 2-B-10, 4-A-1, 4-A-2, 4-A-3	05
Total			20

उपरोक्त वर्णित कुल 20 आवासीय भूखण्डों की नीलामी के संबंध में आवासीय अभियंता खण्ड-बाड़मेर/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंषा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक 05.07.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के अधधीन होगी, जो निम्नानुसार है:—

1. आवासीय योजना में आवास/प्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/प्लेट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन /शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 32/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।



(कश्मी कौर)

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बाड़मेर, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



सम्पदा प्रबन्धक (मु.)